

**मांग संख्या 13**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1**

छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में मानदेय पर ₹ 9.90 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 से 3**

केन्द्र प्रवर्तित एन.एम.एस.ए. स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट योजना अंतर्गत 11 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री क्रय पर ₹ 202.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,02,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत अतिरिक्त दावा राशि के भुगतान हेतु ₹ 310.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2402**

**मद क्रमांक 5 से 6**

केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम योजन अंतर्गत ₹1139.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹11,39,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।